

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

संख्या-3/सी०एस०एम० आवंटन-01/2014 पटना-15, दिनांक-

प्रेषक,

अजय कुमार द्विवेदी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,

वित्त विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ऊर्जा विभाग/पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/परिवहन विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/शिक्षा विभाग/उद्योग विभाग/पर्यटन विभाग/विधि विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग/समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

विषय : मांग सं०-04 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद्-800-अन्य व्यय-0001-मंत्रीगण-13 01-कार्यालय व्यय के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 में निधि का आवंटन।

आदेश : 7,50,000/- (सात लाख पचास हजार) रू० संलग्न सूची के अनुसार सम्बन्धित विभागों को निधि के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यह व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के मुख्य शीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद्-800-अन्य व्यय-0001-मंत्रीगण-13 01-कार्यालय व्यय के उपबंधित राशि से होगा। जिसका कोड सं०-N2013008000001 है।

3. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2419 वि०(2), दिनांक-05.04.2007 के साथ पठित वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.98 के आलोक में आवंटन आदेश निर्गत किया जा रहा है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र में अंकित किया जायगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है। सम्बन्धित विपत्र में आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख भी करना होगा कि इसके आधार पर सम्बन्धित विपत्र में निहित राशि की निकासी की जा रही है। राशि का व्यय वित्त विभागीय पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.98 में निहित निदेशों के अनुसार किया जायेगा।

4. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.98 के अन्य सभी प्रावधानों का अनुपालन पूर्ववत् रहेगा।

5. यदि आवंटित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में नहीं हो सके तो राशि का प्रत्यार्पण दिनांक-30.03.2015 तक अवश्य कर दिया जाय, अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितताओं की सारी जिम्मेवारी सम्बन्धित विभाग की होगी।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अजय कुमार द्विवेदी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-3/सी०एस०एम० आवंटन-01/2014 पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, दीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-3/सी०एस०एम० आवंटन-01/2014 644 पटना-15, दिनांक-05/12/14


प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/विकास भवन, पटना/विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई० टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय इस आवंटनादेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने सूचनार्थ प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव

मुख्य शीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद्-800-अन्य व्यय-मंत्रीगण-13 01-कार्यालय व्यय के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 में आवंटित राशि का विवरणी :-

क्र०	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2014-15 में वर्तमान आवंटन की राशि
1.	वित्त	50,000/-
2.	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	50,000/-
3.	भवन निर्माण	50,000/-
4.	ऊर्जा	50,000/-
5.	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण	50,000/-
6.	परिवहन	50,000/-
7.	ग्रामीण कार्य	50,000/-
8.	शिक्षा	50,000/-
9.	उद्योग	50,000/-
10.	पर्यटन	50,000/-
11.	विधि	50,000/-
12.	अल्पसंख्यक कल्याण	50,000/-
13.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	50,000/-
14.	निबन्धन, उत्पाद एवं मद्य निषेध	50,000/-
15.	समाज कल्याण	50,000/-
कुल योग		7,50,000/- (सात लाख पचास हजार रू०)



(अजय कुमार द्विवेदी)
सरकार के विशेष सचिव
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग।

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
संख्या-3/सी०एस०एम० आवंटन-01/2014 पटना-15, दिनांक-.....

प्रेषक,

अजय कुमार द्विवेदी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,

वित्त विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ऊर्जा विभाग/पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/परिवहन विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/शिक्षा विभाग/उद्योग विभाग/पर्यटन विभाग/विधि विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग/समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

विषय : मांग सं०-04 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद्-800-अन्य व्यय-0001-मंत्रीगण-13 01-कार्यालय व्यय के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 में निधि का आवंटन।

आदेश : 7,50,000/- (सात लाख पचास हजार) रु० संलग्न सूची के अनुसार सम्बन्धित विभागों को निधि के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यह व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के मुख्य शीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद्-800-अन्य व्यय-0001-मंत्रीगण-13 01-कार्यालय व्यय के उपबन्धित राशि से होगा। जिसका कोड सं०-N2013008000001 है।

3. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2419 वि०(2), दिनांक-05.04.2007 के साथ पठित वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.98 के आलोक में आवंटन आदेश निर्गत किया जा रहा है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र में अंकित किया जायगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है। सम्बन्धित विपत्र में आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख भी करना होगा कि इसके आधार पर सम्बन्धित विपत्र में निहित राशि की निकासी की जा रही है। राशि का व्यय वित्त विभागीय पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.98 में निहित निदेशों के अनुसार किया जायेगा।

4. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.98 के अन्य सभी प्रावधानों का अनुपालन पूर्ववत् रहेगा।

5. यदि आवंटित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में नहीं हो सके तो राशि का प्रत्यार्पण दिनांक-30.03.2015 तक अवश्य कर दिया जाय, अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितताओं की सारी जिम्मेवारी सम्बन्धित विभाग की होगी।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अजय कुमार द्विवेदी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-3/सी०एस०एम० आवंटन-01/2014 पटना-15, दिनांक-.....


प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव


ज्ञापांक-3/सी०एस०एम० आवंटन-01/2014 644 पटना-15, दिनांक- 05/12/14

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/विकास भवन, पटना/विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई० टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय इस आवंटनादेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के विशेष सचिव

मुख्य शीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद्-800-अन्य व्यय-मंत्रिगण-13-01-कार्यालय व्यय के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 में आवंटित राशि का विवरणी :-

क्र०	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2014-15 में वर्तमान आवंटन की राशि
1.	वित्त	50,000/-
2.	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	50,000/-
3.	भवन निर्माण	50,000/-
4.	ऊर्जा	50,000/-
5.	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण	50,000/-
6.	परिवहन	50,000/-
7.	ग्रामीण कार्य	50,000/-
8.	शिक्षा	50,000/-
9.	उद्योग	50,000/-
10.	पर्यटन	50,000/-
11.	विधि	50,000/-
12.	अल्पसंख्यक कल्याण	50,000/-
13.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	50,000/-
14.	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध	50,000/-
15.	समाज कल्याण	50,000/-
कुल योग		7,50,000/- (सात लाख पचास हजार रु०)


(अजय कुमार द्विवेदी)
 सरकार के विशेष सचिव
 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग।